

आदेश

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-81/XXXV-4/2017-03(02)/17, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को रू0 63.59 लाख (रू0 त्रेसठ लाख उनसठ हजार मात्र) का धनावंटन हुआ है। इस आवंटित धनराशि को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के द्वारा घोषणा संख्या-85/2017 (राजकीय इण्टर कालेज (रा0इ0का0) रैंगल में 04 कक्षा-कक्षाओं का निर्माण किया जायेगा) के क्रम में कक्षा-कक्षाओं के कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम रानीखेत प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0, द्वारा प्रस्तुत धनराशि रू0 63.59 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 63.59 लाख (त्रेसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन में रखी गयी है।

कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रानीखेत को उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि रू0 63.59 लाख (रू0 त्रेसठ लाख उनसठ हजार मात्र) निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उनके निवर्तन में रखकर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

आवंटित धनराशि को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा :-

- 1- सर्वप्रथम उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग व कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर अवलोकित करवाया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित विभाग योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का वित्तीय नियमों के अधीन लेखाकन (Cash Booking आदि) इस कार्यालय के अतिरिक्त पृथक से अपने स्तर पर भी रखेंगे।
- 3- सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था योजना की प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को माह की प्रथम तिथि को उपलब्ध करायेंगे ताकि योजनाओं की प्रगति आख्या सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष तथा सचिव, मुख्यमन्त्री (घोषणा अनुभाग) तथा अपर सचिव, राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन एवं मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को उपलब्ध करायी जा सकें।
- 4- योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- विभागीय स्तर पर कार्य की प्रगति की निरन्तर एवं गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। समय से कार्य पूर्ण न होने की दृष्टिगत लागत बृद्धि होने पर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों का होगा।
- 6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में किया जायेगा।
- 8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- 11- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 13- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 14- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भूली-भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाए।
- 15- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16- निर्माण कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं संशोधित 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 17- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- 18- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 19- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का प्रयोग उपयोग में लाई जाए।
- 20- उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद / योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- 21- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनरक्षण की

- के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत हैं तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाय।
- 23-- स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि के स्वीकृत की जा रही धनराशि से कम होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पित कर दिया जाए।
- 24-- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 25-- कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 26-- कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
- 27-- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।
- 28-- निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध, प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 29-- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और इस लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराने समय वित्तीय नियमों एवं टेंडर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।
- 30-- कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात योजनाओं की फोटो ली जायेगी।
- 31-- कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण संबंधित उप जिलाधिकारी तथा तकनीकी अधिकारी (पृथक से नामित किये जायेंगे) द्वारा किया जायेगा। संबंधित उप जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी द्वारा गुणवत्ता/कार्य पूर्ण/संतोषजनक होने के प्रमाणीकरण Third Party निरीक्षण आख्या व उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को कुल स्वीकृत धनराशि का अन्तिम भुगतान (25 प्रतिशत) किया जायेगा। कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित मद तथा स्वीकृत धनराशि सीमेन्ट कांकीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 32-- स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। एतद् सम्बन्धी सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे व जिला कार्यालय के सी0डी0सी0 अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों की सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 33-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 800-अन्य व्यय, 02-माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- 1696 /पन्द्रह- 16 /2017-18, दिनांक: 29 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
8. उपसचिव (लेखा), आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
12. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
13. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रानीखेत।
14. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार।
15. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
16. कार्यालय प्रति।